न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः– प्रीतम कुमार, आई.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 89/2025
जीसीएमएस सं.:– 2025/328

वादीः–

चन्द्राराम पुत्र श्री केहराराम जाति मेघवाल निवासी गाव पुगलिया सोमेसर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. अणदाराम पुत्र जैनाराम जाति मेघवाल,
2. कमला पत्नी जैनाराम जाति मेघवाल,
3. जगदीश पुत्र जैनाराम जाति मेंघवाल,
4. नरसिंगराम पुत्र जैनाराम जाति मेघवाल,
5. पूजा पुत्री जैनाराम जाति मेघवाल,
6. सन्तोष पुत्री जैनाराम,
7. आरती पुत्री बाबूलाल जाति मेघवाल,
8. धीरेन्द्र पुत्र बाबूलाल जाति मेघवाल,
9. रीनादेवी पत्नी बाबूलाल जाति मेघवाल,
10. इन्द्रा पुत्री दुर्गाराम जाति मेघवाल,
11. गुडडी पुत्री दुर्गाराम जाति मेघवाल,
12. गीता पत्नी दुर्गाराम जाति मेघवाल,
13. जितेन्द्र पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल,
14. परमेश्वरी पत्नी भंवरलाल जाति मेघवाल,
15. मुकेश पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल,
16. सुनीता पुत्री भंवरलाल जाति मेघवाल,
17. नरपत पुत्र दुर्गाराम जाति मेघवाल,
18. बेबी पुत्री दुर्गाराम जाति मेघवाल,
19. सुरेश पुत्र दुर्गाराम जाति मेघवाल,
20. ओमप्रकाश पुत्र बागाराम जाति मेघवाल,
21. सोहनीदेवी पुत्री बागाराम जाति मेघवाल,
22. किरण पुत्री मालाराम जाति मेंघवाल,
23. विमला पुत्री मालाराम जाति मेघवाल,
24. शान्ति पत्नी मालाराम जाति मेघवाल,
25. चनकीदेवी पत्नी नेमाराम,
26. नाबालिग गोपाराम पुत्र नेमाराम सरक्षक नाबा. जरिये कुदरती वली माता चनकीदेवी पत्नी नेमाराम जाति मेघवाल,
27. नाबालिग जेठाराम पुत्र नेमाराम सरक्षक नाबा. जरिये कुदरती वली माता चनकीदेवी पत्नी नेमाराम जाति मेघवाल,
28. मंजूदेवी पुत्री नेमाराम जाति मेघवाल,
29. मोतीलाल पुत्र नेमाराम जाति मेघवाल,
30. छोटाराम पुत्र कोजाराम जाति मेघवाल,
31. [illegible]काराम पुत्र कोजाराम जाति मेघवाल,
32. [illegible]तावरीदेवी पत्नी कोजाराम जाति मेघवाल,

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

33. भगवानराम पुत्र कोजाराम जाति मेघवाल,
34. सोनाराम पुत्र कोजाराम जाति मेघवाल,
35. तारादेवी पुत्री मंगलाराम जाति मेघवाल,
36. लीलादेवी पत्नी फुसाराम जाति मेघवाल,
37. नाबालिग धापू पुत्री फुसाराम सरक्षक नाबा जरिये कुदरती वली माता लीलादेवी जाति मेघवाल
38. प्रकाश पुत्र फुसाराम जाति मेघवाल,
39. रवि पुत्र फुसाराम जाति मेघवाल,
40. संगीता पुत्री फुसाराम जाति मेंघवाल,
41. नाबालिग सुमित्रा पुत्री फुसाराम सरक्षक नाबा.० जरिये कुदरती वली माता लीलादेवी जाति मेघवाल,
42. नाबालिग सूरज पुत्र फुसाराम सरक्षक नाबा.० जरिये कुदरती वली माता लीलादेवी जाति मेघवाल,
43. हुटीदेवी पुत्री नेमाराम जाति मेघवाल,
44. नाबालिग हीरालाल पुत्र फुसाराम सरक्षक नाबा, जरिये कुदरती वली माता लीलादेवी जाति मेघवाल,
45. पूजा पुत्री कानाराम पति अरविन्द जाति मेघवाल,
46. राकेश पुत्र कानाराम जाति मेघवाल,
47. सुनीता पुत्री कानाराम पति नसिंगराम जाति मेघवाल,
48. सुरेन्द्र पुत्र कानाराम जाति मेघवाल,
49. सरोज पत्नी देवीलाल जाति मेघवाल,
निवासीगण गांव बागां तहसील जोधपुर जिला जोधपुर।
50. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर, जिला जोधपुर।

वाद बाबत बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 23/3/2026

उपस्थितिः–

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री नवरतनदान चारण।
2. प्रतिवादीगण संख्या के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही।

वादी की और से एक वाद बाबत् बंटवाडा एवम् स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बागा तहसील जोधपुर जिला जोधपुर में स्थित खसरा नम्बर 158 रकबा 10.4085 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 49 तक की बहैसियत संयुक्त रेकर्डेड खातेदारी की संयुक्त कब्जा व काश्त तथा उपयोग व उपभोग की कृषि भूमि है। वाद के साथ वादग्रस्त कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी 65 ग्राम बागा की प्रमाणित प्रति सलंग्न है। वाद के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि इस वाद के प्रयोजनार्थ वादग्रस्त कृषि भूमि है। वादी का वादग्रस्त कृषि भूमि में 469/12860 हिस्सा है। रकबा 0.3796 हेक्टेयर तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 49 तक का वादग्रस्त कृषि भूमि में जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि पर मौके पर भौतिक रूप से संयुक्त कब्जा काश्त एवम उपयोग व उपभोग है तथा अपने अपने हिस्से अनुसार वादीगण एवम प्रतिवादीगण संख्या 1 से 49 तक अपने हिस्से अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 49 तक के बीच राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार कृषि भूमि का मौके पर बंटवाडा नही होने से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 49 के मध्य विवाद न हो, इस हेतू वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 49 तक को अनेक बार वादग्रस्त कृषि भूमि का जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवाडा करने का कहा तो प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे। वादी ने दिनांक 15.09.25 प्रतिवादीगण सख्या 1 से 49 को राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार बंटवाडा करने का कहा तो प्रतिवादीगण सख्या 1 से 49 ने बंटवांडा करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया तथा वादी को एलानिया धमकी दी कि वादी को उसके हिस्से की कृषि भूमि पर से जबरन बेदखल कर देगे तथा वादी को उसकी कृषि भूमि पर हिस्से अनुसार कास्त नही करने देगे। जिससे वादी को यह बंटवाडा का वाद अर्न्तगत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत करना न्यायोचित व आवश्यक हुआ। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी को बटवाडा में प्राप्त कृषि भूमि के सम्बन्ध मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 49 तक न तो स्वय दखलन्दाजी करे और न ही किसी अन्य से भी किसी प्रकार की दखलन्दाजी करावे इसलिए वादी ने यह वाद बाबत स्थाई निशेधाज्ञा का अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत करने की नितान्त आवश्यकता हुई। वादकारण विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 21.09.2025 को पैदा हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 49 को वाद के पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के हिस्सो अनुसार बंटवाडा करने का कहा तब प्रतिवादीगण संख्या 1 से 49 तक ने बाई मीटस एण्ड बाऊण्डस के बंटवाडा करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया । प्रतिवादी संख्या 50 तहसीलदार जोधपुर को भूमिधारी होने के कारण बंटवाडा के इस वाद मे आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है अन्यथा प्रतिवादी संख्या 49 के विरूद्ध वादी ने कोई अनुतोष नही चाहा है। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है तथा यह वाद सुनने का इस न्यायालय को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वाद नियत कोर्ट फीस पर आज अन्दर मयाद नियमानुसार पेश है। अतः वाद पेश कर वादी की न्यायालय से निम्न लिखित प्रार्थना वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 158 रकबा 10.4085 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय से सम्बन्धित वाद पत्र में वर्णित हिस्सो अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बीच बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के मौके पर बंटवाडा किया जावे एवम वादी को बंट में प्राप्त कृषि भूमि का सीमांकन एवम मापांकन करवाकर मौके पर भौतिक रूप से कब्जा दिलाया जावे। वादी को बंट में प्राप्त कृषि भूमि पर आने जाने हेतू रास्ता कायम किया जावे। वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 49 तक के विरूद्ध इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमि में से वादी को बंट में प्राप्त कब्जाकाश्त तथा उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी न तो प्रतिवादीगण स्वंय करे, न अन्य किसी से कोई भी दखलन्दाजी पैदा करावे।

वाद दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई दिनांक 29.01.2026 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है कि ग्राम बागा तहसील जोधपुर जिला जोधपुर में स्थित खसरा नम्बर 158 रकबा 10.4085 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 49 तक की बहैसियत संयुक्त रेकर्डेड खातेदारी की संयुक्त कब्जा व काश्त की भमि है जिसमें वादी का 469/12860 हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के द्वारा कब्जे व जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर नजरी नक्शा में सभी पक्षकारों के हिस्से अलग–अलग रंगों में दर्शाते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। जमाबंदी की प्रविष्टि के सही होने की उपधारणा धारा 140 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में है बंटवाडे की प्राथमिक डिक्री पारित की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्राम बागा तहसील जोधपुर जिला जोधपुर के खसरा न. 158 की भूमि में वादी का जिसमें वादी का 469/12860 हिस्सा इन्द्राज है। भूमि के राजस्व अभिलेख में दर्ज एवं मौके पर कब्जे अनुसार बाई मिटस एण्ड

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

बाउण्डस के अलग किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अलग बट्टे कायम कर वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि के राजस्व नक्शे में अलग से तरमीम किया जावे।

प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार जोधपुर से बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत हेतू तहरीर जारी की गई। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपने पत्र कमांक भू.अ./2026/2026/1655 दिनांक 13.03.2026 को बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया गया। जो न्यायालय हाजा में दिनांक 17.03.2026 को प्रस्तुत हुई है। पत्र के साथ में अलावा भू अभिलेख निरीक्षक बांगा द्वारा दिनांक 10.02.2026 को बंटवाडा प्रस्ताव के संबंध में पक्षकारों की रजामंदी लेने की रिपोर्ट प्रेषित की गई। रिपोर्ट में उल्लेख किया कि खसरा संख्या 158 का विभाजन प्रस्ताव मौके पर जाकर वादी की उपस्थिति में तैयार किया गया। जिस विभाजन प्रस्ताव पर वादी चन्द्राराम पुत्र केहरराम सहमत है एवं सहमति हस्ताक्षर किए गयें। विभाजन प्रस्ताव पर वादी एवं प्रतिवादीगण जहॉ इनका कब्जा काश्त है वो हिस्सा इनके रखा गया है। प्रतिवादीगण को नोटिस देने के बावजूद अनुपस्थित रहे इसलिए इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से यह पाया गया कि वादी ने सहमति से हस्ताक्षर किए गए एवं प्रतिवादीगण को नोटिस देने के पश्चात् भी अनुपस्थित रहे तथा इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विभाजन प्रस्ताव में तहसीलदार जोधपुर द्वारा नजरी नक्शा तैयार किया है माफिक प्राथमिक डिक्री हिस्सा अनुसार बंटवाडा किया है। अतः ग्राम बागा तहसील जोधपुर जिला जोधपुर के खसरा न. 158 की भूमि में वादी चन्द्राराम पुत्र केहरराम का बंट रकबा 0.3796 हैक्टेयर जिस पर वादी काबिज है एवं शेष प्रतिवादी सं. 1 से 49 का बंट रकबा 10.0289 हैक्टेयर जिस पर प्रतिवादी सं. 1 से 49 काबिज है। तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.01.2026 अनुसार अंतिम बंटवाडा की डिक्री जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी ने अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष की मांग की गई है। खसरा संख्या 158 में वादी का बंट रकबा 0.3796 हैक्टेयर जिस पर वादी काबिज है एवं शेष प्रतिवादी सं. 1 से 49 का बंट रकबा 10.0289 हैक्टेयर जिस पर प्रतिवादी सं. 1 से 49 काबिज है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे न अन्य के जरिए करावें। अंतिम डिक्री अनुसार तहसीलदार जोधपुर को मौके पर सीमांए कायम कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किए जाने की आज्ञा दी जाती है। बंटवाडा की अंतिम डिक्री पारित की जाती है।

(प्रीतम कुमार)IAS
सहायक कलेक्टर उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

निर्णय आज दिनांक 23/3/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रीतम कुमार)IAS
सहायक कलेक्टर उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 21 रूल 3, 7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर मुकाम जोधपुर व इजलास प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)

वादी:–

चन्द्राराम पुत्र श्री केहराराम जाति मेघवाल निवासी गाव पुगलिया सोमेसर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. अणदाराम पुत्र जैनाराम जाति मेघवाल,
2. कमला पत्नी जैनाराम जाति मेघवाल,
3. जगदीश पुत्र जैनाराम जाति मेंघवाल,
4. नरसिंगराम पुत्र जैनाराम जाति मेघवाल,
5. पूजा पुत्री जैनाराम जाति मेघवाल,
6. सन्तोष पुत्री जैनाराम,
7. आरती पुत्री बाबूलाल जाति मेघवाल,
8. धीरेन्द्र पुत्र बाबूलाल जाति मेघवाल,
9. रीनादेवी पत्नी बाबूलाल जाति मेघवाल,
10. इन्द्रा पुत्री दुर्गाराम जाति मेघवाल,
11. गुड्डी पुत्री दुर्गाराम जाति मेघवाल,
12. गीता पत्नी दुर्गाराम जाति मेघवाल,
13. जितेन्द्र पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल,
14. परमेश्वरी पत्नी भंवरलाल जाति मेघवाल,
15. मुकेश पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल,
16. सुनीता पुत्री भंवरलाल जाति मेघवाल,
17. नरपत पुत्र दुर्गाराम जाति मेघवाल,
18. बेबी पुत्री दुर्गाराम जाति मेघवाल,
19. सुरेश पुत्र दुर्गाराम जाति मेघवाल,
20. ओमप्रकाश पुत्र बागाराम जाति मेघवाल,
21. सोहनीदेवी पुत्री बागाराम जाति मेघवाल,
22. किरण पुत्री मालाराम जाति मेंघवाल,
23. विमला पुत्री मालाराम जाति मेघवाल,
24. शान्ति पत्नी मालाराम जाति मेघवाल,
25. चनकीदेवी पत्नी नेमाराम,
26. नाबालिग गोपाराम पुत्र नेमाराम सरक्षक नाबा. जरिये कुदरती वली माता चनकीदेवी पत्नी नेमाराम जाति मेघवाल,
27. नाबालिग जेठाराम पुत्र नेमाराम सरक्षक नाबा. जरिये कुदरती वली माता चनकीदेवी पत्नी नेमाराम जाति मेघवाल,
28. मंजूदेवी पुत्री नेमाराम जाति मेघवाल,
29. मोतीलाल पुत्र नेमाराम जाति मेघवाल,
30. छोटाराम पुत्र कोजाराम जाति मेघवाल,
31. पुकाराम पुत्र कोजाराम जाति मेघवाल,
32. बगतावरीदेवी पत्नी कोजाराम जाति मेघवाल,
33. भगवानराम पुत्र कोजाराम जाति मेघवाल,
34. सोनाराम पुत्र कोजाराम जाति मेघवाल,
35. तारादेवी पुत्री मंगलाराम जाति मेघवाल,
36. लीलादेवी पत्नी फुसाराम जाति मेघवाल,
37. नाबालिग धापू पुत्री फुसाराम सरक्षक नाबा जरिये कुदरती वली माता लीलादेवी जाति मेघवाल
38. प्रकाश पुत्र फुसाराम जाति मेघवाल,
39. रवि पुत्र फुसाराम जाति मेघवाल,
40. संगीता पुत्री फुसाराम जाति मेंघवाल,
41. नाबालिग सुमित्रा पुत्री फुसाराम सरक्षक नाबा.० जरिये कुदरती वली माता लीलादेवी जाति मेघवाल,
42. नाबालिग सूरज पुत्र फुसाराम सरक्षक नाबा.० जरिये कुदरती वली माता लीलादेवी जाति मेघवाल,
43. हुटीदेवी पुत्री नेमाराम जाति मेघवाल,

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

44. नाबालिग हीरालाल पुत्र फुसाराम सरक्षक नाबा, जरिये कुदरती वली माता लीलादेवी जाति मेघवाल,
45. पूजा पुत्री कानाराम पति अरविन्द जाति मेघवाल,
46. राकेश पुत्र कानाराम जाति मेघवाल,
47. सुनीता पुत्री कानाराम पति नसिंगराम जाति मेघवाल,
48. सुरेन्द्र पुत्र कानाराम जाति मेघवाल,
49. सरोज पत्नी देवीलाल जाति मेघवाल,
निवासीगण गांव बागां तहसील जोधपुर जिला जोधपुर।
50. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर, जिला जोधपुर।

दावा बाबत् 53, 188 आर.टी.एक्ट.में मुकदमा नम्बर 89/2025 यह मुकदमा वास्ते इनकिलास कतई रूबरू हमारे वादी अधिवक्ता श्री नवरतनदान चारण एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही हाजरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

राजस्व ग्राम बागा तहसील जोधपुर जिला जोधपुर के खसरा न. 158 की भूमि में वादी चन्द्राराम पुत्र केहरराम का बंट रकबा 0.3796 हैक्टेयर जिस पर वादी काबिज है एवं शेष प्रतिवादी सं. 1 से 49 का बंट रकबा 10.0289 हैक्टेयर जिस पर प्रतिवादी सं. 1 से 49 काबिज है। तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.01.2026 अनुसार अंतिम बंटवाडा की डिक्री जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी ने अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष की मांग की गई है। खसरा संख्या 158 में वादी का बंट रकबा 0.3796 हैक्टेयर जिस पर वादी काबिज है एवं शेष प्रतिवादी सं. 1 से 49 का बंट रकबा 10.0289 हैक्टेयर जिस पर प्रतिवादी सं. 1 से 49 काबिज है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे न अन्य के जरिए करावें। खर्चा मुकदमा अपना अपना वहन करेगें। अंतिम डिक्री अनुसार तहसीलदार जोधपुर को मौके पर सीमांए कायम कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किए जाने की आज्ञा दी जाती है।

लीज....ग......मुबलिक...... ग .....बाबत्..... ग ....खर्चा इस मुकदमें के मय सुद वगैरह......... ग की सदी सलाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.......ग........को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत आज तारीख 23/3/26 की जारी की गई।

(प्रीतम कुमार) आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

मुदाई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प जारी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकिल		
खर्चा अह्वान्			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मतफरिक			मतफरिक		

नोट– इस खर्च के फार्म हर दी फरीकेन या वाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner